उपखण्ड अधिकारी माण्डल

28.7.22	उभय पक्ष उप[illegible] [illegible]ीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर [illegible] पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 30.9.22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
30.9.22	उभय पक्ष उप[illegible] [illegible]ीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर [illegible] पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 22.11.22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
22.11.22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित। तहसीलदार माण्डल द्वारा रिपोर्ट पेश हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रिपोर्ट मे बताया गया कि उक्त प्रकरण मे निर्णय व डिक्री की पालना नामांतरण सं. 5341 दिनांक 12.8.22 के द्वारा की जा चुकी है अब कोई कार्यवाही शेष नहीं। अतः उक्त प्रकरण मे अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:40:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा

रण संख्या 62 / 2020

अनवान प्रकरण

इम्तियाज वल्द अब्दुल गफार मुसलमान (मोमीन) निवासी मांडल तहसील मांडल जिला
लवाडा

नईम वल्द अब्दुल गफार मुसलमान (मोमीन) निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

खालिद वल्द अब्दुल गफार मुसलमान (मोमीन) निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

नाजिमा पुत्री अब्दुल गफार मुसलमान (मोमीन) निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

गमिना पुत्री अब्दुल गफार मुसलमान (मोमीन) निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

अफसाना पुत्री अब्दुल गफार मुसलमान (मोमीन) निवासी मांडल तहसील मांडल जिला
ेलवाडा

फातमा बेगम वेवा अब्दुल गफार मुसलमान (मोमीन) निवासी मांडल तहसील मांडल जिला
भीलवाड़ा ——— वादीगण

बनाम

जमनेश कुमार पिता देवीलाल ब्राह्मण(ओझा) निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

जयप्रकाश नारायण पिता देवीलाल ब्राह्मण(ओझा) निवासी मांडल तहसील मांडल जिला
भीलवाडा

सूर्यप्रकाश पिता नटवरलाल ब्राह्मण(ओझा) निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

जगतप्रसाद पिता नटवरलाल ब्राह्मण(ओझा) निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

चन्द्रकान्ता वेवा नटवरलाल ब्राह्मण(ओझा) निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

———प्रतिवादीगण

(वाद बावत— घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती)

स्थित:— वकील वादीगण—श्री राकेश जैन

———

निर्णय दिनांक 29.03.2022

वादीगण के द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मांडल की साबिक आराजी नम्बर 4335 रकबा 13 बिस्वा भूमि देवीलाल, नटवरलाल पिता विट्ठललाल ओझा नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी से दर्ज थी।

यह कि साबिक आराजी नम्बर 4335 को देवीलाल, नटवरलाल के द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 10.12.1973 से भैरूलाल पिता सवाईराम कुम्हार निवासी मांडल को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया। इसी विक्रयपत्र के आधार पर भैरूलाल पिता सवाईराम कुम्हार ने उक्त आराजी को जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 03.[illegible] पिता जान मोहम्मद मुसलमान(मोमीन) निवासी मांडल को विक्रय कर कब्जा सौंप दि[illegible] साबिक आराजी नम्बर 4335 रकबा 13 बिस्वा के भूप्रबन्ध के पश्चात न[illegible] 12 बिस्वा बने जिस पर अब्दुल गफार पिता जान मोहम्मद काबिज [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:40:59 IST
Reason: SelfAttested

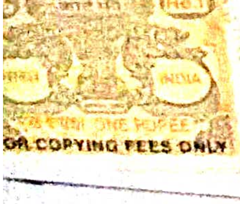

फोटोस्टेट प्रति

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

3—राजस्व कर्मचारियों के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दोनों विक्रयपत्रों को अंकन नहीं किया गया। वर्तमान में देबीलाल, नटवरलाल पिता विट्ठललाल ओझा विक्रेता एवं अब्दुल गफार पिता जान मोहम्मद मुसलमान(मोमीन) क्रेता फौत हो चुके हैं। साबिक आराजी नम्बर 4335 जिसके नवीन नम्बर 4980 पर देबीलाल , नटवरलाल ओझा का कोई हक हिस्सा नहीं रहा है एवं न ही उक्त भूमि पर किसी प्रकार से इनके वारिसान जो प्रतिवादीगण है का विक्रय पश्चात कभी कब्जा कब्जा नहीं रहा। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में आराजी नम्बर 4980 प्रतिवादीगण जो स्व0 देबीलाल, नटवरलाल के वारिसान है का नाम दर्ज है। तथा अब्दुल गफार पिता जान मोहम्मद के वादीगण वारिस होने तथा इनके पिता की खरीदशुदा भूमि होने से राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटवा जाकर स्वयं के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए इन्द्राज दुरुस्ती करा खातेदारी पाने के अधिकारी है।

4—वादपत्र दिनांक 09.12.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सम्मन तामील के हाजिर नहीं होने से दिनांक 18.11.2021 को एक तरफा आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी सं0 5 फौत हो गई तथा इनके विधिक वारिसान पहले से वाद में पक्षकार होने तथा अन्य कोई विधिक वारिस नहीं होने से आदेश दिनांक 18.11.2021 को प्रतिवादी चन्द्रकान्ता का नाम हटाया गया। प्रतिवादी सं0 6 [illegible] होने से फोर्मल पक्षकार है। वादी संख्या 07 फातमा बेगम फौत हो चुकी है। इनके भी विधिक वारिसान वादीगण 1 से लगायत 6 पहले से ही रिकॉर्ड पर होने तथा अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं होने से आदेश दिनांक 18.11.2021 को वाद से नाम हटाया गया।

5—वादपत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा होने से वाद का किसी के द्वारा खण्डन नहीं किए जाने से वादविन्दु कायम नहीं किए जाकर एक तरफा शहादत वादी में स्वयं वादी इम्तियाज गवाह रतनलाल पिता गोपाल माली निवासी मांडल के मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाकर पत्रावली में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को प्रदर्श करवाया गया।

6—वादीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस में वकील वादी ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादीगण का वाद [illegible] किए जाने का निवेदन किया।

[illegible] वकील वादीगण की बहस सुनी तथा प्रस्तुत वाद एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसके अनुसार ग्राम मांडल की साबिक आराजी नम्बर 4335 रकबा 13 बिस्वा ग्राम मांडल की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 2027 में [illegible], नटवरलाल पिता विट्ठललाल ओझा सा0 देह के नाम अन्य आराजीयात के साथ खातेदारी से दर्ज थी। चूंकि देबीलाल, नटवरलाल पिता विट्ठललाल ओझा खातेदार होने से इन्हें विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होने से इनके द्वारा साबिक आ0नं0 4335 रकबा 13 बिस्वा [illegible] पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 10.12.1973 को भैरूलाल पिता सवाईराम कुम्हार निवासी मांडल [illegible] विक्रय कर कब्जा सौंपा जाना पत्रावली में प्रस्तुत बहनामा की फोटो प्रति प्रदर्श—1ए है। [illegible]यात भैरूलाल पिता सवाईराम कुम्हार निवासी मांडल के द्वारा उक्त विक्रयपत्र के आधार पर आराजी नं0 4335 को जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 03.01[illegible] अब्दुल गफार पिता [illegible] मोहम्मद मुसलमान(मोमीन) निवासी मांडल को विक्रय कर कब्जा सौंपा जाना पत्रावली में [illegible] बहनामा की फोटो प्रति प्रदर्श—2ए है। इस प्रकार उक्त दोनों वि[illegible] सप्रतिफल होकर [illegible]त निष्पादित किए गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:40:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

फोटोस्टेट प्रति
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

उक्त दोनों विक्रयपत्रों को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होने से भूमि देवीलाल, नटवरलाल पिता विट्ठललाल ओझा के नाम पर ही दर्ज चलती रही। इसके पश्चात सेटलमेन्ट होने से उक्त खसरा आ0नं0 4335 रकबा 13 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 4980 रकबा 12 बिस्वा बने है जो पत्रावली में प्रस्तुत मिलान खसरा भूप्रबन्ध की प्रमाणित प्रति सम्वत् 2024 प्रदर्श–6 से सिद्ध होता है जो कि देवीलाल, नटवरलाल पिता विट्ठललाल ओझा के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 4980 रकबा 0.1200 बीघा प्रतिवादीगण के नाम नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 में दर्ज है जिसकी प्रति प्रदर्श–3 है।

क्रेता अब्दुल गफार पिता जान मोहम्मद व वादी संख्या 07 फातमा बेगम फौत हो चुके हैं जिसकी पुष्टि पत्रावली में प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र की फोटो प्रतियां क्रमशः प्रदर्श–7ए व प्रदर्श–8ए है। देवीलाल, नटवरलाल पिता विट्ठललाल ओझा के फौत हो जाने पर इनके वारिसान प्रतिवादीगण के नाम पर आराजी नम्बर 4980 रकबा 12 बिस्वा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 प्रदर्श–5 में इन्तकाल नं0 1035 दिनांक 04.04.91 से खाता विरासत से दर्ज हो गया। जबकि भूमि 10.12.1973 में ही भैरूलाल पिता सवाईराम कुम्हार को बिकाव हो चुकी थी तथा भैरूलाल के द्वारा उक्त भूमि को दिनांक 03.01.79 को अब्दुल गफार को बिकाव कर कब्जा दे दिया तब से अब्दुल गफार का कब्जा था तथा मृत्यु के पश्चात अब्दुल गफार के वारिसान वादीगण काबिज हो काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित होकर वादपत्र का मौखिक या लिखित किसी तरह से खण्डन नहीं किया गया। वादीगण के पिता स्व0 अब्दुल गफार पिता जान मोहम्मद के नाम पर उसके द्वारा पंजीबद्ध विक्रयपत्र से वादवर्णित भूमि क्रय की परन्तु उसका नामान्तरकरण वादीगण या उनके स्व0 पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होकर विक्रेता देवीलाल, नटवरलाल पिता विट्ठललाल ओझा के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज हुई है। जिसे वादीगण दुरूस्त करा राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम खातेदारी से दर्ज कराने के अधिकारी है। अतएव

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद इस आशय का डिक्री किया जाता है कि ग्राम मांडल की आराजी नम्बर 4980 रकबा 0.12 बीघा का वादीगण इम्तियाज वल्द अब्दुल गफार मुसलमान (मोमीन) , नईम वल्द अब्दुल गफार मुसलमान (मोमीन) , खालिद वल्द अब्दुल गफार मुसलमान (मोमीन),नाजिमा पुत्री अब्दुल गफार मुसलमान (मोमीन),समिना पुत्री अब्दुल गफार मुसलमान (मोमीन), अफसाना पुत्री अब्दुल गफार मुसलमान (मोमीन) निवासियान मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को तैयार कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

फोटोस्टेट प्रति
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:40:59 IST
Reason: SelfAttested